POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 02.12.2025

1. थाना सेक्टर-58, नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चोरी की एक मोटरसाइकिल, स्नैच किये गये 04 मोबाइल फोन व एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **02.12.2025** को **थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त 1.बोबी चौहान पुत्र प्रमोद चौहान 2.लोकेश माथुर पुत्र उपेन्द्र माथुर को सीडेक सेक्टर-62, नोएडा के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चोरी की एक मोटरसाइकिल स्पलेण्डर, लूट के 04 मोबाइल फोन व एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

अभियुक्तगण उपरोक्त शांतिर किस्म के अपराधी है, जिनके द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर राह चलते व्यक्तियों से उनका मोबाइल फोन छीनते है और अंजान व्यक्तियो को सस्ते दामो में बेच दते है। बरामद मोटरसाइकिल स्पलेण्डर रजि0 नं0 डीएल7एससीए-1793 को लगभग 03 माह पूर्व मयूर विहार फेस-3, दिल्ली से चोरी किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना गाजीपुर, दिल्ली में मु0अ0सं0 030737/2024 धारा 305(2) बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. बोबी चौहान पुत्र प्रमोद चौहान वर्तमान पता वन्दना एन्कलेव, खोडा कॉलोनी, गाजियाबाद उ0प्र0 मूल पता गाँव गढी मलैरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश उम्र 24 वर्ष।
2. लोकेश माथुर पुत्र उपेन्द्र माथुर वर्तमान पता वन्दना एन्कलेव, खोडा कॉलोनी गाजियाबाद मूल पता गाँव तजापुर, थाना नारखी, जिला फिरोजाबाद उ0प्र0 उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. एक मोटरसाईकिल स्पलेण्डर रजि0 नं0 डीएल7एससीए-1793 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 030737/2024 धारा 305(2) बीएनएस थाना गाजीपुर दिल्ली)
2. 04 मोबाइल फोन (लूट के)
3. एक चाकू

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 15/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सेक्टर-20 नोएडा बनाम बोबी
2. मु0अ0सं0 030737/2024 धारा 305(2) बीएनएस थाना गाजीपुर, दिल्ली।
3. मु0अ0सं0 436/2025 धारा 317(2), 317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा।

2. थाना इकोटेक-प्रथम पुलिस द्वारा निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट से साईट इन्जीनियर के साथ मिलकर नये एल्युमीनियम केबल चोरी कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 बन्डल एल्युमीनियम केबल (कीमत करीब 15 लाख रुपये), एक कैन्टर (फर्जी नम्बर प्लेट लगा हुआ) व एक कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **02/03.12.2025** की रात्रि को **थाना ईकोटेक-प्रथम** पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट से टाटा कम्पनी के साईट इन्जीनियर के साथ मिलकर नये एल्युमीनियम केबल चोरी कर कबाड़ में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्त 1.शिवम शर्मा पुत्र नवरत्न शर्मा 2.इरशाद अहमद पुत्र कमाल अहमद 3.मौ0 सिराज पुत्र शाहबुल्ला 4.इजहार उर्फ सोनु पुत्र स्व0 मानुल्ला को जी0बी0यू0 चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 07 बन्डल एल्युमीनियम केबल (कीमत करीब 15 लाख रुपये), एक कैन्टर (फर्जी नम्बर प्लेट लगा हुआ) व एक कार बरामद हुआ है।

पूछताछ का विवरण-- पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोग यह माल अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर से चोरी करके लाये है, जिसमे हवाई अड्डे के कुछ कर्मचारी भी शामिल है। थाना इकोटेक-प्रथम पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवही की जा रही है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. शिवम शर्मा पुत्र नवरत्न शर्मा निवासी ग्राम लालपुर थाना टप्पल जिला अलीगढ उम्र-22 वर्ष (साईट इजींनियर टर्मिनल बिल्डिग टाटा कम्पनी)।
2. इरशाद अहमद पुत्र कमाल अहमद निवासी ग्राम टिकरिया, थाना डुमरियागंज, जिला सिद्धार्थनगर उ0प्र0 उम्र 23 वर्ष (गाड़ी चालक)।
3. मौ0 सिराज पुत्र शाहबुल्ला निवासी ग्राम टिकरिया, थाना डुमरियागंज, जिला सिद्धार्थनगर उ0प्र0 उम्र 21 वर्ष (गाड़ी हेल्पर)।
4. इजहार उर्फ सोनु पुत्र स्व0 मानुल्ला निवासी ग्राम टिकरिया थाना डुमरियागंज जिला सिद्धार्थनगर उ0प्र0 वर्तमान पता सोनिया विहार, थाना शभापुर, दिल्ली उम्र 26 वर्ष(कबाड़ी)।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 119/2025 धारा 317(5)/318(4)/3(5) बीएनएस थाना इकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 07 बन्डल एल्युमीनियम केबल (कीमत करीब 15 लाख रुपये)
2. एक कैन्टर (फर्जी नम्बर प्लेट लगा हुआ)
3. एक कार स्विफ्ट

3. थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटरसाइकिल, फर्जी नंबर प्लेट व एक चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **02.12.2025** को **थाना नॉलेज पार्क पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 03 अभियुक्त 1-संदीप पुत्र उपेन्द्र 2-करीम खान उर्फ गुल्ला पुत्र सलीम खान 3-प्रिंस पुत्र सरवन को स्पेक्ट्रम कॉलेज के पीछे कच्चे रास्ता से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटरसाइकिल, एक अवैध चाकू व फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गयी है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. संदीप पुत्र उपेन्द्र निवासी जमटुल्ला थाना बडकोल जिला मालदा (प0बंगाल) वर्तमान पता ग्राम बिरोंडी, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
2. करीम खान उर्फ गुल्ला पुत्र सलीम खान निवासी बिसमिल्ला कॉलोनी, थाना देहली गेट जिला अलीगढ़ वर्तमान पता एकांकी एन्क्लेव, एच्छर थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
3. प्रिंस पुत्र सरवन निवासी अलालपुर, जिला हरदोई वर्तमान पता बिरोंडी, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 76/20 धारा 379 आईपीसी थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 653/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 282/2025 धारा 317(2) ,317(5)/345/318(4) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नॉलेजपार्क, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की 06 मोटरसाइकिल
2. 01 अवैध चाकू
3. फर्जी नम्बर प्लेट

4. थाना ईकोटेक-3 पुलिस द्वारा 15000 रुपये का ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **02.12.2025** को **थाना इकोटेक-3 पुलिस** द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व गोपनीय सूचना की सहायता से मु0अ0सं0 331/25 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में वाछिंत अभियुक्त अरविन्द किशोर उर्फ टोमी उर्फ टोमू पुत्र सारन सिंह को चौगानपुर गोल चक्कर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है।

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर एनसीआर क्षेत्र में उडीसा राज्य से ट्रक में गांजा तस्करी करता है। अभियुक्त के 02 साथी अली हसन व योगेन्द्र को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस उच्चाधिकारीगण द्वारा 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

अभियुक्त का विवरण-- अरविन्द किशोर उर्फ टोमी उर्फ टोमू पुत्र सारन सिंह निवासी ग्राम राजपुर, थाना सिकन्द्राराउ, जिला हाथरस उम्र 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 331/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 328/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिकन्द्राराउ, हाथरस।